फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

जगदीश बनाम रमेश वगै0

ार्थना पत्र संख्या : 199/2015

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	02-08-2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्षों की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि प्रतिवादी सं0 1 व 2 के हित में खातेदार गोपी पुत्र नोन्दा द्वारा जरिये पंजीकृत विकय पत्र हस्तांतरित स्वअर्जित सम्पत्ति है, जो कि नियमानुसार गोपी पुत्र नोन्दा के हित में खातेदारी इन्द्राज होने के उपरान्त नियमानुसार के कब्जे काश्त व मालिकाना स्वामित्व के तहत खातेदारी अंकित की गई है, जो कि बदस्तुर रहते हुए खातेदार रहा है जिसके अनुशरण में खातेदार की हैसियत से जरिये विकय पत्र प्रतिवादी सं0 1 व 2 के हित में दिनांक 17.02.1988 को निष्पादित व पंजिबद्व किया गया, जिनकी खातेदारी अनुसार मौके पर काबिज काश्तकार है, जिसको माननीय न्यायालय में चूनौती नही दिया जा सकता है। जिसके संबंध में वादी ने मुश्तर्का पैतृक हक खातेदारी अनुसार हक घोषणा हेतु वाद पेश किया है, जबकि विवादित भूमि पैतृक वंशानुगत खातेदारी नही होकर मात्र मिन प्रतिवादी की स्वअर्जित भूमि है, जिसके विरूद्व वादी किसी प्रकार की घोषणा कराने के अधिकारी नही है, जो कि प्रस्तुत वाद कतई ही चलने योग्य नही है, मात्र खारिज करने योग्य है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में तथाकथित व फर्जी बनावटी दस्तावेज प्रस्तुत किया है, जो कि प्रतिवादी के हितों के विरूद्व वादी की सुनियोजित षडयंत्रपूर्ण कूटरचित दस्तावेज है, जिसके आधार पर माननीय राजस्व न्यायालय से विचाराधीन वाद में वादी हक घोषणा कराने के अधिकारी नही है तथा नियमानुसार खातेदारी अंकित होकर मिन प्रतिवादी सं0 1 व 2 के हित में निष्पादित व पंजिबद्व विकय पत्र में अंकित विवादित भूमि अनुसार खातेदारी मिन प्रतिवादी के राजस्व इन्द्राज खातेदारी के विरूद्व राजस्व न्यायालय मं वाद प्रस्तुत करने एवं प्रस्तुत वाद पर सुनवाई करने एवं निर्णय करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को कतई ही नही है। जिसके तहत भी विचाराधीन वाद वार्ड बाई लॉ होने के कारण इसी प्रकम पर खारिज करने योग्य है। वाद में अंकित विवादित भूमि मिन प्रतिवादी के हित में निष्पादित पंजिबद्व विकय अनुसार खातेदारी अंकित है तथा मिन प्रतिवादी के स्वअर्जित अधिकारों के विरूद्व तथाकथित वादी की संदेहास्पद व अविश्वसनीय दस्तावेज है, जिसके आधार पर माननीय राजस्व न्यायालय द्वारा मिन प्रतिवादी के विरूद्व वादी अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। मिन प्रतिवादी के हित में पंजिबद्व विकय पत्र के विकय पत्र के विरूद्व हक घोषणा के कथनों अनुसार मिन प्रतिवादी के विरूद्व हक घोषणा कराने एवं करने का क्षेत्राधिकार माननीय राजस्व न्यायालय में कतई ही नही आता है। जो कि प्रस्तुत वाद विधि विरूद्व होकर खारिज करने योग्य है। विवादित भूमि को बहैसियत रिकार्डेड खातेदार गोपी पुत्र नोन्दा ने अपनी भूमि का विकय मिन प्रतिवादी के हित में आज से 30 वर्ष निष्पादित व पंजिबद्व कराया, जिसके आधार पर खातेदारी अंकित होकर प्रतिवादी सं0 1 व 2 के हित मे करते हुए मौके पर कब्जा हस्तान्तरण कर दिया है। जिसके	

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-जयपुर

अनुसार विकय पत्र भी प्रतिवादी सं0 1 व 2 के हित में निष्पादित करते हुए उप पंज़ीयक जगवारामगढ के कार्यालय में पजिबद्व करा दिया गया और खातेदारी भूमि मिन प्रतिवादी के हित में अंकित किया गया तथा भूमि वादग्रस्त पर मिन प्रतिवादी भूमि के खातेदार काश्तकार चला आया है, जिसके अनुसार विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार व मालिक प्रतिवादी 1 व 2 चले आ रहे है। जिसके अनुसार वादी द्वारा तथाकथित फर्जी व बनावटी कूटरचित दस्तावेज मिन प्रतिवादी के विधिक अधिकारों के विरूद्व कतई ही निष्प्रभावी है तथा विवादित भूमि के संबंध में खातेदार गोपी पुत्र नोन्दा की प्रकिया को निरस्त क्राने व उसके बाद मिन प्रतिवादी के हित में निष्पादित व पंजिबद्व विकय पत्र को निरस्त कराये बिना व निष्प्रभावी घोषित क़राने बिना या पंजिकृत दस्तावेज को निष्प्रभावी घोषित करने या उसे निरस्त करने का क्षेत्राधिकार नही है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद कतई ही खारिज करने योग्य है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में निष्पादित विकय पत्र को वादी ने सक्षम सिविल न्यायालय में चूनौती नही दिया है तथा अब विचाराधीन वाद में मिन प्रतिवादी सं0 1 व 2 के हित में पंजिबद्व विकय पत्र को अब निरस्त करने व प्रभाव शून्य घोषित करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही है तथा विकय पत्र प्रभाव शून्य घोषित होने से पूर्व वादी के हित में विचाराधीन वाद में निर्णय करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही है, ऐसी स्थिति में वाद मात्र खारिज करने योग्य है। वादी का वाद विधि विरूद्व होने से व वाद मात्र बोगस लिटिगेशन अनुसार विचाराधीन है जो मात्र इसी प्रकम पर खारिज किये जाने योग्य है।

वकील अप्रार्थी /वादी ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र आ0 7 नि011 सी0पी0सी0 में अंकित बिन्दूओं को ताईन्द करते हुए निवेदन किया कि प्रा0पत्र का मद सं0 1 पूर्णतः कपोल कल्पित एवं मनगन्ढत होने से अस्वीकार है। वादी की खातेदारी को जरिये पंजिकृत विकय पत्र कय करने का किसी प्रकार का कोई विधिक अधिकार प्रतिवादी सं0 1 व 2 को नही था। प्रार्थी के पक्ष में कराया गा विकय पत्र प्रारम्भ से ही अप्रार्थी/वादी के हक अधिकारों के विरूद्व शुन्य है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी/वादी के हिस्से पर प्रार्थी किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नही है ना ही कभी रहा है। वादी का वाद बाबत घोषणा खातेदारी का है जिसे सुनने का अधिकार माननीय न्यायालय को है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है। वादी /अप्रार्थी का वाद घोषणा खातेदारी को है जो किसी भी विधि द्वारा वर्जित नही है। प्रार्थी/प्रतिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र मात्र जवाब दावे से बचने एवं वाद को लम्बे समय तक लम्बित रखने की गरज से माननीय न्यायालय के सम्मूख प्रस्तुत किया है जो काबिले खारिज है।

अतः वकील उभय पक्षों की बहस का मनन करने व पत्रावली में उपलब्ध वादी के वाद पत्र, प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी., जवाब प्रा0 पत्र आ07(11) एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी /प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 को स्वीकार करना उचित समझते है। अतः प्रार्थी /प्रतिवादी सं0 1 व 2 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नेयम 11 सी0पी0सी0 को स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्तकारी अधि0 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी
जगवारामगढ जिला-जयपुर